



संख्या : / जी०एस० / शिक्षा / A3-101(2)/2020

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 20 फरवरी, 2020

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 451 मान्यता/के०यू०/2019-2020 दिनांक 06-07-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल को बी०कॉम० (आनर्स) तथा एम०कॉम० पाठ्यक्रमों में सत्र 2019-20 से स्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाविद्यालय द्वारा स्थाई सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण किये जाने के पश्चात ही स्थाई सम्बद्धता पर विचार किया जा सकेगा।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थाई सम्बद्धता के प्रकरण में लगने वाले सम्भावित समय में जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक महाविद्यालय को सत्र 2019-20 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के हितों के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद नियामक संस्था/यू०जी०सी० के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण विषयक निर्णय लेकर विश्वविद्यालय सम्बद्धता का वास्तविक आदेश निर्गत करेगी तथा तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई से मा० कुलाधिपति महोदय को अवगत करायेंगा :-

क्र० सं०	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	1-बी०कॉम० (आनर्स) 2-एम०कॉम०	60 सीटों हेतु	सत्र 2019-20 हेतु

4- तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 4099 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-101(2)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।